संख्या : 74/2015/1198/छप्पन-2015-43/2014

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 11 सितम्बर, 2015

विषय : राजकीय अगुस्ता हेलीकॉप्टर- वी0टी0-यू0पी0एल0 के अनुरक्षण कार्य हेतु एक नया EFIS Indicator Part No.-109-0900-71-1A01 को एक्सचेंज के आधार पर क्रय करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 425/ना0उ0नि0/इंजी/बी-2-15(पी), दिनांक 29-7-2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय अगुस्ता हेलीकॉप्टर- वी0टी0-यू0पी0एल0 के अनुरक्षण कार्य हेतु एक नया EFIS Indicator Part No.-109-0900-71-1A01 को एक्सचेंज के आधार पर क्रय किया जाना है। निर्माता कम्पनी मैसर्स अगु स्ता वेस्टलैण्ड, इटली से एक नये EFIS Indicator हेतु कोटेशन मांगा गया था। फर्म से प्राप्त आफर संख्या-73875, दिनांक 13.7.2015 के अनुसार एक नये EFIS Indicator का मूल्य यू0एस0 डॉलर 88,645-50 मात्र है, जो भारतीय मुद्रा में रूपये 65/- प्रति यू0एस0 डॉलर की विनिमय दर से बैंक चार्जेज सहित रूपये 57,61,957-00 मात्र होता है, के प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जानी है। अत: राज्यपाल महोदय राजकीय अगुस्ता हेलीकॉप्टर- वी0टी0-यू0पी0एल0 के अनुरक्षण कार्य हेतु एक नया EFIS Indicator Part No.-109-0900-71-1A01 को एक्सचेंज के आधार पर निर्माता कम्पनी मैसर्स अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली सेप्राप्त कोटेशन के आधार पर यू0एस0 डॉलर 88,645-50 मात्र जो भारतीय मुद्रा में रूपये 65/- प्रति यू0एस0 डॉलर की विनिमय दर से बैंक चार्जेज सहित रूपये 57,61,957-00 मात्र (रूपये सत्तावन लाख इकसठ हजार नौ सौ सत्तावन मात्र) के व्यय एवं फर्म को अग्रिम भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान अग्रिम के रूप में निर्माता कम्पनी को वायरट्रांसफर के माध्यम से किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25-10-1983 एवं संख्या-ए-1-235/दस-2011-1(1)/69, दिनांक 10-06-2011 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त क्रय एक्सचेंज के आधार पर होने के कारण निर्माता फर्म को हेलीकॉप्टर से निकाले जाने वाली यूनिट को वापस फर्म को भेजा जायेगा। फर्म द्वारा यूनिट का परीक्षण कर निर्धारित किये गये कोर वैल्यू (जो अधिकतम यू0एस0 डॉलर 29000.00 होगी) क्रेडिट मेमो के रूप में वापस की जायेगी के समायोजन के निर्गत आदेश की प्रति सहित शासन को तत्काल अवगत कराया जाय।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान फर्म को तत्कालीन विनिमय दर से करने के पश्चात अधिशेष धनराशि मार्जिन मनी एकाउण्ट में जमा की जायेगी। आहरण/समायोजन में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या क्षति होती है, तो उसके लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन लेखा शीर्षक - 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय की मानक मद-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के अशा0 संख्या- एफ0ए0-1-283/दस-2015, दिनांक 11 सितम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 74/2015/1198(1)/छप्पन-2015-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।